

## स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड के गठन का आरबीआई द्वारा वरिध

### चर्चा में क्यों?

भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI) ने भुगतान और नपिटान प्रणाली अधिनियम, 2007 के संशोधन प्रस्ताव में उल्लिखित एक स्वतंत्र भुगतान नियामक बोर्ड (Independent Payments Regulatory Board-PRB) के गठन के मसौदे का वरिध किया है।

### प्रमुख बदि

- संशोधन को अंतिम रूप देने के पूर्व अंतर-मंत्रालयी समिति को लिखे असहमतिपत्र में आरबीआई ने कहा, 'आरबीआई के बाहर भुगतान प्रणाली के लिये नियामक होने का कोई औचित्य नहीं है।'
- रतन वाटल कमेटी ने आरबीआई की समग्र संरचना के बाहर PRB की स्थापना की सफ़ारिश की थी। डिजिटल भुगतान को लेकर बनाई गई इस समिति ने सुझाव दिया था कि सरकार को भुगतान का नयिमन केंद्रीय बैंक (RBI) के कामकाज से अलग स्वतंत्र रूप से करना चाहिये।
- आरबीआई के मुताबकि, चूँकि सिमसूत बैंक RBI द्वारा नयितरति होते हैं, अतः आरबीआई द्वारा एक समग्र वनियिमन अधकि प्रभावी होगा और परिणामस्वरूप अनुपालन लागत में वृद्धि नहीं होगी। इसलिये एकीकृत संचालन की आवश्यकता है, न कि सिमनवय की।
- आरबीआई ने अपने पत्र में इस बात को भी दोहराया है कि आरबीआई के गवर्नर को प्रस्तावित PRB का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिये।
- आरबीआई के अनुसार, भारत में डिजिटल भुगतान प्रणाली ने अच्छी और स्थिर प्रगति की है। भारत को डिजिटल भुगतान प्रणाली के कषेत्र में एक लीडर के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो रही है। इसे देखते हुए एक अच्छी तरह से काम कर रही प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाना चाहिये।
- इससे पहले आरबीआई ने एक अलग सार्वजनिक ऋण प्रबंधन निकाय स्थापति करने के सरकार के प्रस्ताव का भी वरिध किया था और प्रस्ताव को रोक दिया गया था।
- आरबीआई के नवीनतम कदम के अनुसार देश के भीतर डेटा स्टोर करने के लिये भुगतान कंपनियों को केंद्रीय बैंक के नरिदेश का पालन करना होता है। पीआरबी की संरचना वतित मंत्री द्वारा वतित वधियक में की गई घोषणाओं के अनुरूप नहीं है।
- अपने रुख के समर्थन में आरबीआई ने कहा कि भुगतान प्रणाली वास्तव में मुद्रा के लिये प्रौद्योगिकी आधारित विकल्प है। आरबीआई द्वारा बैंकों के माध्यम से मुद्रा का वतिरण किया जाता है। भुगतान प्रणाली के लिये इसका तार्किक वसितार अच्छा परिणाम दे रहा है। फनिटेक कंपनियों और अन्य गैर-बैंकिंग कंपनियों इस कार्य को बेहतर ढंग से कर रही हैं।
- वास्तव में यह स्पष्ट नहीं है कि गैर-बैंकिंग कंपनियों को भुगतान प्रणाली के माध्यम से पैसा एकत्र करने का काम कैसे दिया जा सकता है।
- आरबीआई ने तर्क दिया है कि भारत में भुगतान प्रणाली में बैंकों का वरचस्व है।
- एक ही नयिमक द्वारा बैंकिंग सिस्टम और भुगतान प्रणाली का वनियिमन सहयोग प्रदान करता है और भुगतान उपकरणों में सार्वजनिक वशिवास को प्रेरति करता है।
- केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान प्रणाली का वनियिमन स्थरिता के लहिाज से प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मॉडल है।
- इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा भुगतान और नपिटान प्रणाली का वनियिमन और पर्यवेक्षण से समग्र लाभ सुनिश्चित होगा।